

**भू सम्पदा(विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 [रेरा]
कार्यान्वयन प्रगति रिपोर्ट (08-09-2025 तक)**

क्र. सं.	राज्य	शहरी जनसंख्या (लाख में)	परियोजनाओं और एजेंटों का पंजीकरण				एजेंट संख्या	शिकायतें निपटाए गए मामले
			परियोजनाओं की कुल संख्या	आवासीय परियोजनाओं का विवरण				
				परियोजनाओं की संख्या	आवासीय इकाइयों की संख्या	कार्पेट क्षेत्रफल (लाख वर्ग फुट)		
1	आंध्र प्रदेश	146	5,895	4,404	1,03,013	184.62	248	475
2	बिहार	118	1,902	1,327	1,18,491	5,367.58	668	4,039
3	छत्तीसगढ़	59	2,006	1,832	2,71,608	3,859.65	887	2,922
4	गोवा	9	1,456	1,358	40,447	233.80	661	418
5	गुजरात	257	15,990	7,272	6,33,010	5,937.87	2,377	3,413
6	हरियाणा	88	1,852	1,492	5,31,963	4,499.94	7,568	24,767
7	झारखंड	79	1,619	1,333	96,013	2,034.57	19	380
8	कर्नाटक	236	7,969	4,283	8,34,084	6,771.84	6,064	9,150
9	केरल	159	1,496	1,472	74,011	31.43	796	1,731
10	मध्य प्रदेश	200	5,724	5,265	8,35,939	11,555.93	2,311	5,753
11	महाराष्ट्र	508	51,361	48,952	45,90,735	1,12,912.18	52,289	23,759
12	ओडिशा	70	1,385	1,171	94,884	713.91	301	4,429
13	पंजाब	104	1,798	1,236	1,93,191	1,893.53	3,710	3,651
14	राजस्थान	170	3,986	3,827	5,96,494	6,442.77	12,505	4,721
15	तमिलनाडु	349	30,143				3,454	3,637
16	तेलंगाना	136	9,702	6,196	4,29,179	9,613.53	4,293	1,278
17	उत्तर प्रदेश	445	3,942	3,351	11,41,798	15,763.05	6,745	50,341
18	पश्चिम बंगाल	291	167				118	51
उप-योग (राज्य) :-		3,427	1,48,393				1,05,014	1,44,915
19	अरुणाचल प्रदेश	3.17	-				-	-
20	असम	43.99	1,082				80	228
21	मणिपुर	8.34	-				-	-
22	मेघालय	5.95	-				-	-
23	मिजोरम	5.72	-				-	-
24	नागालैंड	5.71	-				-	-
25	सिक्किम	1.54	-				-	-
26	त्रिपुरा	9.61	197				5	31
27	हिमाचल प्रदेश	6.89	250	1	119	771.58	146	140
28	उत्तराखंड	30.49	612	165			469	1091
उप-योग (पूर्वोत्तर राज्य) :-		121.41	2,141				700	1,490
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.43	3				28	-
30	चंडीगढ़	10.26	3	3			19	31
31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	3.43	246	232	11,767	450.51	4	2
32	दिल्ली	163.69	120	89			923	1457
33	जम्मू और कश्मीर	33.71	-				-	-
34	लद्दाख	0.62	-				-	-
35	पुदुचेरी	8.53	460	5	287	7640.33	8	3
36	लक्षद्वीप	0.50	-				-	-
उप-योग (संघ राज यक्षेत्र) :-		222.17	832				982	1,493
कुल		3,770.82	1,51,366				1,06,696	1,47,898

टिप्पणी:-

- सामान्य नियम: 35 राज्यों/संघ राज यक्षेत्रों ने रेरा के तहत नियमों को अधिसूचित कर दिया है, नागालैंड शेष है.
- विनियामक प्राधिकरण: नियमित-28, अंतरिम-07 (पुदुचेरी, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश), 1 स्थापित नहीं (नागालैंड).
- अपील अधिकरण: नियमित-27, अंतरिम-02 (मणिपुर और त्रिपुरा); 7 स्थापित नहीं (अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम और नागालैंड).
- वेब पोर्टल: स्थापित-29, स्थापित नहीं-7 (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, लद्दाख, मेघालय, सिक्किम और नागालैंड).
- निर्णायक अधिकारी: नियुक्त-27, नियुक्त नहीं-9 (बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख).